भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1432
दिनांक 11.02.2020/22 माघ, 1941 (शक) को उत्तर के लिए

विदेशी अधिकरण आदेश में संशोधन

†1432. श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सैय्यद ईमत्याज ज़लीलः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय नागरिकता पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची से नाम बाहर करने के विरुद्ध अपीलों पर निर्णय लेने के लिए असम में 120 दिनों की समय-सीमा निर्धारित करने हेतु विदेशी (अधिकरण) आदेश में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि असम में लोगों को एनआरसी में अपने नामों की जांच कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, चूंकि इस प्रयोजनार्थ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय बहुत कम है और उनके नाम एनआरसी से बाहर छूट जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का एनआरसी में नागरिकों द्वारा अपने नामों की जांच करने की प्रक्रिया को सुकर बनाने के लिए समय-सीमा बढ़ाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ): माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश पर, शामिल किए गए व्यक्तियों की अनुपूरक सूची की हार्ड कॉपी और शामिल न किए गए व्यक्तियों की परिवार-वार ऑनलाइन सूची 31 अगस्त,

2019 को असम में एनआरसी सेवा केंद्रों, सर्किल कार्यालयों और जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालयों में प्रकाशित की जा चुकी है। असम राज्य में "भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी)" में शामिल किए जाने हेतु कुल मिलाकर 3,11,21,004 व्यक्ति पात्र पाए गए हैं और 19,06,657 व्यक्ति हटाए गए हैं।

विदेशी विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना), नियम, 2003 में संलग्न अनुसूची के पैरा 8 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो असम में अंतिम एनआरआईसी को तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान दावों और आपत्तियों पर लिए गए निर्णयों के परिणामों से संतुष्ट नहीं होता है, वह ऐसा आदेश जारी होने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर, विदेशियों विषयक (अभिकरण) आदेश, 1964 के अंतर्गत गठित निर्दिष्ट अधिकरण (ट्रिब्यूनल) के समक्ष अपील कर सकता है और इस अधिकरण द्वारा अपील के निपटान के पश्चात, असम राज्य में "भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरआईसी)" में नामों को शामिल अथवा हटाया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

असम में एनआरआईसी की अंतिम सूची से हटाए गए व्यक्तियों को अपना मामला सिद्ध करने के लिए उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

****